न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 139/2023 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीः–

1.लखसिंह पुत्र बागसिंह
जाति राजपूत, निवासी मेघसिंह की ढाणी, घोनिया
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगणः–

1.गोमाराम 2.चंदनाराम 3.जेठाराम पि. करनाराम
4.भेराराम पुत्र ईशराराम 5.लेहरों पत्नि उतमाराम
जतियान सुथार, निवासी मेघसिंह की ढाणी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
6.तहसीलदार चौहटन

वकील प्रार्थी :– श्री मोहनलाल खिलेरी

वकील विप्रार्थीगण :– एकतरफा

निर्णय

दिनांक 07.12.2023

प्रार्थी लखसिंह पुत्र बागसिंह, जाति राजपूत, निवासी मेघसिंह की ढाणी,घोनिया, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा मेघसिंह की ढाणी, पटवार क्षेत्र ढोक तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 175 रकबा 04.3544 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है, मौके पर रहवासी ढाणी, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थी अपनी जोत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

आने जाने से बाधित होता है। अतः प्रार्थी को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 410/251 मौजा मेघसिंह की ढाणी, पटवार क्षेत्र ढोक, तहसील चौहटन में से रास्ता दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजि. एडी.नोटिस तलब किये गये। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 410/251 पर न्यायालय का स्थगन आदेश है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410/251	09.3725	बा.को	25 फीट	00.2[illegible] [illegible]यर	मेघसिंह की ढाणी	विप्रार्थी सं. 1 से 5 गोमाराम वगैरा, कौम सुथार, सा.देह खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थी को खसरा नं. 410/251 के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

लाल रंग से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थी द्वारा देय होगी और प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग लाल 25 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत [illegible] मौका नक्शा ट्रेस में बरंग लाल दर्शाया गया प्रस्तावित [illegible] वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक [illegible] डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना कर[illegible] सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी । क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।
4. नए प्रस्तावित 25 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थी को उक्त 25 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 25 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 07.12.2023 को दिया जाता है। चूंकि खसरा सं. 410/251 मौजा मेघसिंह की ढाणी पर न्यायालय का स्थगन आदेश है। अतः नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.01.15 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन